अनवान– अमीन बनाम अब्दुला वगैरा
प्रकरण संख्या 332/2024

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन संख्या–332/2024

पीठासीन अधिकारी– बद्रीनारायण, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थी–

1. अमीन पुत्र राजु जाति मुसलमान निवासी पुंजासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण–

1. अब्दुला पुत्र कबुलखां
2. जुडीया पुत्र राजु
   जातियान मुसलमान निवासीगण पुंजासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
3. शाखा प्रबंधक दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सेड़वा।
4. राज्य सरकार जरिये(भूमिधारी) तहसीलदार एवं उप पंजीयक सेड़वा।

अधिवक्तागण– प्रार्थी वकील– श्री हासम खान।

विप्रार्थी संख्या 02 के वकील– श्री मांगीलाल जयपाल।

–:: निर्णय ::– दिनांक 07.01.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 02 के वकील उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि सरहद मौजा पूंजासर पटवार क्षेत्र सालारिया भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा में प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त का खेत खसरा नम्बर 451/16 रकबा 3.4317 हैक्टेयर किस्म बारनी सोयम का आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा आया हुआ है। उक्त आराजी का लगान प्रार्थी माफिक हिस्से अनुसार नियमानुसार अदा करता आ रहा है तथा गिरदावरी भी प्रार्थी के नाम तज्वीज [illegible] रही है। प्रार्थी व अप्रार्थी का अलग–अलग कब्जा होकर मौके पर अलग–अलग [illegible] करते आ रहे हैं, मौके पर अलग–अलग कब्जे काश्त अनुसार मौके भी कायम है तथा अपने–अपने हिस्से में रहवासियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Scanned with OKEN Scanner

...णियां भी स्थित है। इसी अनुसार मौके पर बहामी बंटवाड़ा होकर प्रार्थी काबिज काश्त है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में भूमि सामलाती होने से उनका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण भूमि को अजनबी बदमाश व्यक्ति को बेचान कर अच्छी से अच्छी भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। जिससे प्रार्थी के हक खतरे में पड़ गए है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का बहामी एवं भौतिक तौर से किए गए बंटवाड़ा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी का अलग–अलग कब्जा काश्त है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में भूमि सामलाती दर्ज होने से उक्तानुसार प्रार्थी बाई मिट्स एवं बाउड्स के आधार पर मौके पर कब्जे–काश्त अनुसार बंटवाड़ा करवाने के कानूनी हकदार होने से दावा हाजा बंटवाड़ा का पेश किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि का मौके पर प्रार्थी का अलग कब्जा काश्त है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में भूमि सामलाती होने से अप्रार्थी व उनके परिवार वाले आए दिन प्रार्थी के अलग कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी पैदा कर मौके पर मौजूद मांठे इत्यादि में परिवर्तन कर अजनबी व्यक्ति को विशेष भू–भाग सड़क पर, उपजाऊ भूमि को अप्रार्थीगण बेचान करना चाहते है। जिससे ऐसा कृत्य अप्रार्थीगण का अवैध व गैर कानूनी हैं। सामलाती भूमि में प्रार्थी का कण–कण में हक, हिस्सा मौजूद है, प्रार्थी के हिस्से की भूमि में काश्त करने में भारी अवरोध पैदा कर मौके पर झगड़ा–टंटा करने को तुले रहते हैं। कई बार पंच–पंचायती भी करवाई, लेकिन अप्रार्थीगण नहीं मानकर ऐलानियां, धमकियां देते है। अप्रार्थी प्रार्थी के हिस्से पर आया तथा उक्त आराजी में जबरन बिना विभाजन कराए कब्जा करने की ऐलानियां धमकियां दी कि वादग्रस्त भूमि से कब्जा खाली करो न ही तो हम जबरन कब्जा करेंगे तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त भूमि को आगे बेचान करने का सौदा तय हो गया हैं, आप कब्जा खाली करो, कब्जा खरीददार को देना है। इस प्रकार प्रार्थी के हक खतरे में पड़ गए है। ऐसा करने का अप्रार्थी को कानूनी अधिकार नहीं, जिससे रोकने हेतु दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश ठोस आधारों पर पेश किया जा चुका है, जिसमें प्रार्थी को कानूनी जीत सुनिश्चित है। वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में एवं मौके पर विधिवत बंटवाड़ा नहीं होता है, तब तक प्रार्थी को बैजा नुकसान पहुंचाने हेतु उक्त संयुक्त भूमि का किसी प्रकार का रहन, बैचान, तर्क इत्यादि करने व प्रार्थी को गिरोह के जरिए जबरन बेदखल करने को उतारू है, तथा अजनबी व्यक्ति जबरन उक्त अविभाजित भूमि में कब्जा करना चाहते है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण उपर्युक्त अवैधानिक कृत्य करने में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थी को तरह–तरह के मुकदमेबाजी में उलझना पड़ेगा, वाद की बहुलताएं बढेगी व कानूनी जटिलताएं पैदा होगी। प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन कतई द्रव्यों में संभव नहीं है। इस प्रकार कानूनी तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा पूंजासर पटवार हल्का सालारिया भू.अभि.निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 451/16 रकबा 3.4317 हैक्टेयर भूमि के कब्जे उपयोग में दखलन्दाजी न करें, न ही कच्चा–पक्का निर्माण करें तथा न ही अप्रार्थीगण संयुक्त भूमि का ... न करें। उक्त कृत्य अप्रार्थीगण न तो स्वयं करें एवं न ही अन्य किसी से करावें तथा ... प्रार्थी संख्या 4 उक्त आराजी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

Scanned with OKEN Scanner

संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन न करें तथा न ही नामान्तरकरण की कार्रवाई करें। वादग्रस्त आराजी की मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूलवाद से अंतिम निस्तारण तक बनाए रखें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण सादिर फरमावें।

प्रार्थी वकील द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश करने पर इस न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण संख्या 332/2024 अनवान अमीन बनाम अब्दुला वगैरा में दिनांक 18.11.2024 को जारी एकतरफा स्थगन आदेश द्वारा मौजा मौजा पूंजासर पटवार हल्का सालारिया भू.अभि.निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 451/16 रकबा 3.4317 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि के राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा न करें तथा वादग्रस्त भूमि का बेचान, रहन, तर्क, दान, वसीयत, समर्पण आदि नहीं करें तथा न ही कच्चा–पक्का निर्माण करें। मौके एवं राजस्व रेकर्ड में यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश जारी किया गया।

विप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का पदवार जवाब पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा हस्तगत प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि मौजा पूंजासर पटवार हल्का सालारिया भू.अभि.निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 451/16 रकबा 3.4317 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा 1/3 है। वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उपजाऊ–अनउपजाऊ भूमि में बराबर हिस्सा हैं व विप्रार्थी संख्या 02 ने प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी कभी नहीं की और न ही बेदखल करने की धमकियां दी तथा प्रार्थी ने कब्जा काश्त के अनुसार वाद प्रस्तुत कर बाई मिट्स एण्ड बाउट्स के आधार बंटवाड़ा चाहा हैं, जिसमें प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं हैं तथा प्रतिवादी संख्या 02 का जवाब स्वीकार कर वादी के साथ–साथ प्रतिवादी का कब्जा काश्त व रास्ते की सुविधा के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउट्स के आधार पर बंटवाड़ा करवाने के कानूनी हकदार होने से काउण्टर ऑफ क्लैम जवाब पेश है। वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उपजाऊ–अनुपजाऊ भूमि में बराबर हिस्सा है तथा वादी ने कब्जा काश्त के अनुसार वाद प्रस्तुत कर बाई मिट्स एण्ड बाउट्स के आधार पर बंटवाड़ा चाहा है, जिसमें प्रतिवादी को कोई आपति नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 02 का जवाब स्वीकार कर वादी के साथ–साथ प्रतिवादी का कब्जा काश्त व रास्ते की सुविधा के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउट्स के आधार पर बंटवाड़ा करवाने के कानूनी हकदार होने से काउन्टर ऑफ क्लैम जवाब पेश है। वादी ने मनगढंत तथ्य अंकित करवाया हैं कि वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उपजाउ–अनुपजाऊ भूमि में बराबर हिस्सा है व प्रतिवादी 02 ने वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कभी नहीं की और न ही बेदखल करने की धमकियां दी इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र झुठे तथ्यों के आधार पर पेश होने से खारिज योग्य है, विप्रार्थी की मौके पर संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

Scanned with OKEN Scanner

जे काश्त की भूमि आई हुई है। इसी अनुरूप विप्रार्थी अपना विद्युत कनेक्शन लेकर अपने हिस्से की भूमि पर सिंचाई करके कृषि करना चाहता है, जिसको लेकर विप्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि को सिंचित बनाने के लिए विप्रार्थी ने अपने नाम का विद्युत कनेक्शन लेने के लिए फाईल जमा की उसके बाद अपने हिस्से की भूमि पर आधा बोरवैल खुदा उसके बाद विप्रार्थी को जानकारी हुई कि उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि पर प्रार्थी द्वारा एकतरफा स्थगन आदेश ले लिया है तथा विप्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि को सिंचित बनाने का कानूनन अधिकार है, विप्रार्थी ने अपने हिस्से में मकान का निर्माण करने के लिए पत्थर की गाड़ी अपने हिस्से में खाली की तब उक्त मकान का निर्माण कार्य को रोकने की नियत से प्रार्थी ने झूठे तथ्य अंकित किए है, प्रार्थी आए दिन अपने हिस्से से अधिक भूमि पर विप्रार्थी के हिस्से की भूमि में जबरन कब्जा कर विप्रार्थी हिस्से को अपने हिस्से में मिलाने की चेष्टा करता रहता है, जिसके लिए यह जवाब पेश है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेकसंगत अध्ययन, अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथा संलग्न दस्तावेजात् पर अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रार्थना पत्र व विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के संबंध में प्रस्तुत पदवार जवाब में अंकित तथ्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण के उपरांत हस्तगत प्रकरण में सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर विप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। इस कारण विप्रार्थी अधिवक्ता संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत पदवार जवाब को स्वीकार किया जाता है।

अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में विप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब को न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारणोपरांत स्वीकार किया जाता है तथा उक्त विवेच्य तथ्यों के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय द्वारा पूर्व में राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 332/2024 में दिनांक 18.11.2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत जारी मौके एवं रेकर्ड के स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

07.01.2025

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner